

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-99/2024

पटना, दिनांक :- / / 2025

डा० सुमन कुमारी, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर), शिशु रोग विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य विभागीय आदेश सख्या-1133(17), दिनांक-29.11.2022 की कड़िका-07 के शर्ताधीन दिनांक-08.07.2024 से 03.01.2025 तक कुल-180 दिनों का द्वितीय सतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

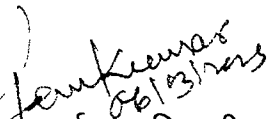
ज्ञापांक :-17/विविध- 01-99/2024 - 222(17) पटना, दिनांक :- 06/03 /2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० सुमन कुमारी, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर), शिशु रोग विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।